विज्ञप्ति

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बागेश्वर

पत्रांकः– /विविध/शुद्धिपत्र/व्यवस्थापन/2018–19/शपथपत्र प्रारूप–2/विदेशी/बागेश्वर

दिनांक 19.04.2018

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में विदेशी/देशी मदिरा की फुटकर बिक्री दुकानों के वार्षिक व्यवस्थापन वर्ष 2018–19 (दिनांक 01.05.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक के लिये) हेतु पूर्व में ई–टेंडरिंग के लिये ई टेंडरिंग की वेब साइट www.uktenders.gov.in पर टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड किये गये थे।उपरोक्त अपलोड किये गये डॉक्यूमेंटों में विदेशी मदिरा की छः दुकानों 01. गरूड़ 02.भराड़ी 03.शामा 04.कांधार 05. काफलीगैर 06 कांडा के संलग्न शपथ पत्र (प्रारूप 02) के प्रथम पृष्ठ के बिन्दु संख्या 01 में आवेदित दुकान का नाम त्रुटिवश बागेश्वर अंकित हो गया है।इस संबंध में सूचित करना है कि उक्त छः विदेशी मदिरा की दुकानों 01. गरूड़ 02.भराड़ी 03.शामा 04. कांधार 05. काफलीगैर 06 कांडा के शपथ पत्र का संशोधित प्रारूप www.uktenders.gov.in पर अपलोड किया गया है। अतः जिन आवेदकों के द्वारा पूर्व में अपलोड किया गया शपथ पत्र डाउनलोड कर लिया गया है उनसे अनुरोध है कि कृपया संशोधित शपथ पत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग करें। शपथ पत्र के प्रारूप–02 के बिन्दु संख्या 01 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उपरोक्त के सम्बन्ध मे कोई भी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय व आबकारी निरीक्षक कार्यालय से ली जा सकती है। दूरभाष न0–05963220108 मोबाइल न0–7579098386 एवं 7579098088

जिला आबकारी अधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बागेश्वर

पत्रांकः– 54-63 /विविध/शुद्धिपत्र/व्यवस्थापन/ 2018–19/शपथपत्र प्रारूप–02/विदेशी/बागेश्वर

दिनांक 19.04.2018

प्रतिलिपिः–

01. आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड,देहरादून

02 संयुक्त आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग मुख्यालय/कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी।

03. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र संपूर्ण उत्तराखण्ड संस्करण मे शासकीय दरो पर न्यूनतम स्थान मे दिनांक 20.04.2018 को प्रकाशित कर विल भुगतान हेतु जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

04. आबकारी निरीक्षक बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध मे अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें ।

05. नेटिस बोर्ड।

06. सूचना अधिकारी बागेश्वर।

19.04.18

जिला आबकारी अधिकारी
बागेश्वर